विषय :– अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु–श्रेणी–I तथा श्रेणी–II के ऐसे अधिकारियों जिन की नियुक्ति प्राधिकारी सरकार है, को 50/55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखने की क्रिया विधि में परिवर्तन।

क्या वित्तायुक्त, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया मुख्य मन्त्री, हरियाणा, द्वारा हरियाणा सरकार की कार्य संचालन नियमावली 1968 नियम 28 (I) (XXIX) तथा 28(3) के अन्तर्गत दिये गये आदेशों जिन की प्रति उन्हें इस विभाग के अशा० क्रमांक 4627–4 जी० एस०–I–75, दिनांक 8 अगस्त, 1975 द्वारा भेजी गई थी, की ओर ध्यान देंगे ?

2. पैरा–1 में सन्दर्भित आदेशों के अन्तर्गत आने वाले सभी श्रेणी–I तथा श्रेणी–II के ऐसे अधिकारियों जिन की नियुक्ति प्राधिकारी सरकार है, को 50/50 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखने से सम्बन्धित केस मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, के माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय को आदेशार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः इस सम्बन्ध में एकरूपता बनाये रखने तथा विलम्ब परिहार के उद्देश्यों से यह निर्णय लिया गया है कि जब इस प्रकार के सभी केस इस विभाग के अशा० क्रमांक 3556–4 जी० एस०–I–75, दिनांक 30 जून, 1975 द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा (नोटिंग ही प्रोफार्मा में की जानी चाहिए) में कार्यभारी मन्त्री के विचार प्राप्त करने के बाद ही मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सामान्य सेवाएं शाखा–I) को मुख्य मन्त्री महोदय के आदेश प्राप्त करने के लिए भेजे जाया करें।

3. उन से अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों की पालना किये जाने के लिए इन्हें अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में ला दिया जाये।

हस्त/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

वित्तायुक्त, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

(English version of U.O.No. 5167-4GSI-75, dated 12-9-1975.

Will the Financial Commissioner and all Administrative Secretaries to Government, Haryana, kindly refer to the orders passed by the Chief Minister, Haryana, under clause (xxix) of sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 28 of the Rules of Business of the Government of Haryana, 1968, a copy of which was sent to them vide this Department's U.O.No. 4627-4GSI-75/dated the 8th August, 1975 ?

2. The cases covered under the orders referred to in para I above, i.e. the cases of all Class I and those Class II officers whose appointing authority is the State Government, regarding their retention in service beyond the age of 50/55 years are now required to be submitted to the Chief Minister for orders through the Chief Secretary to Government Haryana. With a view to maintaining uniformity in this respect and to avaid delay, it has been decided that all such cases should, henceforth, be sent to the Chief Secretary to Government Haryana (General Services I Br.) in the proforma prescribed vide this Department's U.O.No. 3536-4GSI-75, dated the 30th June, 1975. (noting should be done in the proforma), after obtaining the views of the Minister concerned, for obtaining the orders of the Chief Minister.

3. It is requested that these instructions may be brought to the notice of all officers/ officials working under them for compliance.